न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 161/12 (वाद)
GCMS No. : 2012/00130

1. श्री चतरसिंह पिता वदनसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।

...........वादी

बनाम्

1. श्री भानसिंह पिता वदनसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।
2. श्री खुमाणसिंह पिता वख्तावरसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. श्री मोहनसिंह पिता दौलतसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।
5. श्री शम्भुसिंह पिता दौलतसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।
6. श्रीमती रविता रानी कपील पत्नी पी.डी. कपील निवासी मावली तह. मावली।
7. श्रीमती तारादेवी बोहरा पत्नी नटवरलाल बोहर निवासी जोधपुर।
8. श्रीमती कान्तादेवी पत्नी खुमाणसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जयेश कुमार जैन, अधिवक्ता वादी।
2. श्री पंकज औदिच्य, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(क)(घ) जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 04.08.2023

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आसोलियान की मादडी पटवार हल्का बोयणा की वादग्रस्त भूमि को वादी की पैतृक सम्पति होना बताकर भूमि में अपने हिस्से की घोषणा करा बंटवाडा कराने का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(क)(घ) जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वाा एक वाद घोषणा एवं बंटवारा हेतु प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 के रजिस्टर्ड बक्षीसनामें को निरस्त करने के सम्बन्ध में अनुतोष मांगा गया है जबकि वादी द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

अपने दादा स्वर्गीय वदनसिंह द्वारा दिनांक 09.04.1974 को प्राप्त किये गये रजिस्टर्ड बक्षीसनामें को निरस्त करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा व बंटवाडा मांगा गया हैं। यह कि दानदाता द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 को बक्षीस की गयी कृषि आराजीयात के कब्जे को सौपने के सम्बन्ध में न्यायालय में स्वयं सहमति प्रकट की हैं। इसी आधार पर स्वर्गीय वदनसिंह के बक्षीसशुदा कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार समाप्त होते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 को उक्त कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे तथा वर्तमान में वह उक्त कृषि भूमि में रिकार्डेड खातेदार होकर कृषि कार्य करते हुए उपयोग उपभोग कर रहा हैं।

2. यह कि विधि का सुस्थापित नियम व सिद्वान्त है कि रजिस्टर्ड बक्षीसनामें व विलेख को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। यह कि जब तक प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बक्षीसनामें को सिविल न्यायालय में चुनौती देते हुए निरस्त नहीं करवा लिया जाता है तब तक रजिस्टर्ड बक्षीसनाम अस्तित्व में रहते हुए वादी द्वारा राजस्व न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ एवं बंटवारे हेतु वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हैं। वाद पत्र के अवलोकन से ही स्पष्ट होता है कि वादी रजिस्टर्ड बक्षीसनामें को निरस्त करवाने का अनुतोष आप राजस्व न्यायालय से प्राप्त करना चाह रहा हैं।
3. यह कि रजिस्टर्ड बक्षीसनामें के विरूद्व कोई भी वाद सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय है इस कारण रजिस्टर्ड बक्षीसनामें के विरूद्व किसी भी राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वाद विधि द्वारा वर्जित है और विधि द्वारा वर्जित वाद के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं होता हैं। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं।
4. यह कि विधि से बाधित वाद का निस्तारण राजस्व न्यायालय में किया जाता हैं। जिससे प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 परेशानी का सामना करेगा। उक्त रजिस्टर्ड बक्षीस से प्राप्त कृषि भूमि का प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 रिकार्डेड खातेदार हैं तथा उसका निरन्तर व निर्बाध उपयोग उपभोग कर रहा हैं।
5. यह कि वाद पत्र में केवल रजिस्टर्ड बक्षीसनामें को शून्य व निष्प्रभावी लिख देने से वह शून्य व निष्प्रभावी नहीं हो जाता बल्कि उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना माननीय आप न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना विधि द्वारा वर्जित हैं। उक्त वाद काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की धारा 207 के अनुरूप भी माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है इस कारण बिना क्षेत्राधिकार के आप न्यायालय में प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उपरोक्त प्रार्थना पत्र अनुसार इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश करावें।

7. अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के द्वारा घोषणा एवं विभाजन का दावा अवश्य प्रस्तुत किया है तथा उक्त दावें में वादी के द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि तथाकथित बक्षीसनामा उसके हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही रद्द शून्य व बेअसर है जिसे वाद का अलग से निरस्त कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, वादी की प्रार्थना केवल मात्र घोषणा एवं विभाजन की है जिस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय सक्षम न्यायालय हैं। तथाकथित बक्षीसनामा प्रारम्भ से ही रद्द शून्य, बेअसर, नाजायज एवं विधि विरूद्व है ऐसी स्थिति में तथाकथित बक्षीसनामें को निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वादी के द्वारा अपनी मौरूसी भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन चाहे गये है जिसे प्रदान करने हेतु माननीय न्यायालय पूर्णतया सक्षम हैं।

8. यह कि वादी अपने वादपत्र में यह स्थिति स्पष्ट करके आया है कि जब वदनसिंह जी को वादग्रस्त भूमियां उनके पूर्वजो से प्राप्त होकर सहदायिकी की पैतृक भूमियां है तो उन्हे वादग्रस्त भूमियों को विक्रय बक्षीस करने का कोई अधिकार ही नहीं है वादग्रस्त भूमियों में वादी का जन्म से ही हक अधिकार निहित है ऐसी स्थिति में वदनसिंह जी की सहमति कानूनन कोई मायना नहीं रखती है न ही वदनसिंह जी को वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त करने का ही अधिकार है, वादग्रस्त भूमियों का वादी 1/3 हिस्से का संयुक्त हक अधिकार धारक है जिससे प्रतिवादी सं. 2 के कथन किसी प्रकार से माने जाने योग्य नहीं हैं। वादी के द्वारा किसी दस्तावेज निरस्तीकरण का वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है वादी के द्वारा मूलरूप से खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादी सं. 2 को प्रारम्भ से ही रद्द शुन्य व बेअसर एवं विधि शून्य दस्तावेज से किसी प्रकार के कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुसूची 4 के अनुरूप खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन के वाद का वास्तविक श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय आप में ही निहित हैं।

9. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक विशिष्ठ विधि है जिसके तहत् खातेदारी अधिकार जो कि एक विशिष्ठ प्रकार के अधिकार हैं अधिनियमित किये गये है वादी को प्रारम्भ रद्द, शुन्य व बेअसर दस्तावेजों को निरस्त कराने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं हैं न ही वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में ही ऐसी कोई विधिक रूकावट ही है प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा विधि का बगैर गम्भीर अध्ययन किये मनमर्जी से इस प्रकार के कथन किये जा रहे है जिनका कोई अस्तित्व [illegible] प्रकरण पर नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बार–बार एक ही बात घुमा फिरा कर अंकित की जाकर माननीय न्यायालय घुमराह करने का प्रयास किया गया है। वादी के द्वारा उसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है तथाकथित नुमाईशी दस्तावेज वादी के हक अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से रद्द, शुन्य व बेअसर होकर वादी को अलग से दस्तावेज को निरस्त कराने की कोई कानूनन बाध्यता नहीं हैं, वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है, जिस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं जिससे वादी का वाद किसी भी विधि के द्वारा वर्जित नहीं है अपितु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञेय है वादी ने अपने वाद में स्पष्ट रूप से वाद हेतुक अंकित कर रखा है एवं वाद के पठन से भी वादी को सही एवं वास्तविक वाद हेतुक प्रकट होता हैं।

10. यह कि प्रतिवादी सं. 2 के कथन उसकी द्वेषपूर्ण भावना इंगित करता है न्यायालय के निर्णय से न्याय होता है न कि कोई पक्षकार परेशान, जहां तक प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा उसके रिकार्ड में खातेदार अंकित होना व उपयोग उपभोग करना अंकित किये जाने का प्रश्न है, प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा नुमाईशी तौर पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराने से वह किसी प्रकार से वास्तविक स्वत्वधारक नहीं बन जाता है, वादी का वादग्रस्त भूमियों में 1/3 हक व हिस्सा निहित है उसी अनुरूप वादी ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी हैं। यह अब स्थापित विधि है कि कोई व्यक्ति उसे प्रदत्त हक अधिकारों से अधिक किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कर सकता वादग्रस्त भूमिया मौरूसी भूमियों होकर अकेले वदन सिंह जी को दान करने के कोई हक अधिकार नहीं है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि वदन सिंह जी के द्वारा तथाकथित नुमाईशी दस्तावेज अपने हक अधिकारों के विपरित जाकर निष्पादित किया गया है जो कि कानूनन प्रारम्भ से ही रद्द शुन्य व बेअसर है जिससे ऐसा कोई विधित प्रावधान नहीं है जो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद को विधितः वर्जित करता हो।

11. यह कि धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम माननीय न्यायालय को हस्तगत वाद के विचारण की पूर्ण अधिकारिता होना प्रावधित करती हैं। वादी का वाद माननीय न्यायालय में वर्ष 1988 से तकरीबन 34 वर्षों से लम्बित है व वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी की अवस्था में है जिस सम्बन्ध में प्रतिवादी को पर्याप्त से भी अत्यधिक अवसर दिये जा चुके है बावजूद इसके प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न कर महज प्रकरण को लम्बा करने की गरज से इस प्रकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है जो कि ''एब्यूज ऑफ दी प्रोसेस ऑफ लॉ'' होकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने से प्रतिवादी सं. 2 का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

12. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के आधार पर प्रार्थी का वाद केवल मात्र निम्नलिखित आधारो पर खारिज किये जाने योग्य है – आदेश 7 नियम 11 – वादपत्रों का नामंजूर किया जाना। वादपत्र निम्नलिखित दषा में नामंजूद कर दिया जायेगा – (क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है, (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और प्रार्थी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता हैं, (ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है और प्रार्थी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है, (घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हैं।, (ड) जहां यह दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है, (च) जहां प्रार्थी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता हैं।

13. यह कि विपक्षीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के किन उक्त चारों प्रावधानों के तहत् आता है, ऐसी सूरत में विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाये जाने योग्य हैं। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र महज समय व्यतीत करने एवं वादी को न्याय प्राप्ति में देरी कारित कर हैरान परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया हैं।

14. यह कि वादी की वर्तमान उम्र होकर वादी वयोवृद्व होकर सिनियर सीटीजन है प्रकरण वर्ष 1988 से अर्थात् विगत 34 वर्षों से लम्बित है प्रतिवादी सं. 2 वादी को उसके जीवनकाल में न्याय प्राप्त होते नहीं देखने देना चाहता है इसी कारण उसके द्वारा इस प्रकार का मिथ्या भ्रामक एवं बलहीन, बोगस एवं अन्य विधि विरूद्व हेतुको की पूर्ति करने के दुराशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि सव्यय निरस्तनीय हैं। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाकर वादी को विशेष हर्जे खर्चे के रूप में 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये प्रतिवादी सं. 2 से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2014 (1) Page 534 पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर अप्रार्थी/वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

नजीर RRT 2003 (1) Page 633, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकरण संख्या 347/01/टी.ए./उदयपुर खुमाणसिंह बनाम मानसिंह निर्णय दिनांक 12.09.2005, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकरण संख्या 5157/2018 खुमान बनाम चतर निर्णय दिनांक 17.11.2022 पेश कर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

16. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना—वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ)जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

17. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा वाद खातेदारी घोषणा व बंटवाडे का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वाद पत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में वदनसिंह पिता अमरसिंह राव के नाम पर दर्ज थी। वदनसिंह के तीन पुत्र वख्तावरसिंह, चतरसिंह व भानसिंह थे। वख्तावरसिंह का देहान्त हो गया था जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 2 हैं। बदनसिंह वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पिता व प्रतिवादी सं. 2 के दादा हैं। बदनसिंह जी द्वारा दिनांक 09.07.74 को वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादी सं. 2 को बक्षीस कर दी एवं तत्पश्चात् पुनः बदनसिंह जी द्वारा बिल एवज विक्रय पत्र दिनांक 22.06.76 को वादी व प्रतिवादी सं. 1 को विक्रय कर दी। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 421, 429, 430, 244 प्रतिवादी सं. 2 व आराजी नम्बर 317 प्रतिवादी सं. 2 व अन्य खातेदार के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादी द्वारा बक्षीसनामा दिनांक 09.07.74 को खारिज कर वादग्रस्त भूमि को वादी के नाम खातेदारी घोषणा दिये जाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया हैं। बदनसिंह जी का देहावसान सम्वत् 1935 को हो गया था। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 6040/2003 खुमाणसिह बनाम भानसिंह निर्णय दिनांक 21.10.2011 को निर्णय पारित कर **''विवादित भूमि मृतक श्री बदनसिंह जी स्वअर्जित सम्पदा होने के कारण वे इस विवादित भूमि की बख्शीश करने में सक्षम थे तथा जब तक यह बख्शीश नामा सक्षम न्यायालय से प्रभावहीन घोषित नहीं हो जाता तब तक यह बख्शीश नामे के आधार पर राजस्व अभिलेखों के इन्द्राजों में कोई परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है''** करते हुए न्यायालय अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2003 को यथावत् रखते हुए अपील को खारिज की गई। अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर RRT 2003 (1) Page 633 उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत नजीर RRT 2014 (1) Page 534 “Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11-Application for rejection of plaint-Suit for declaration, partition & cancellation of sale deed-Application rejected-Suit for cancellation of the sale deed in relation to agricultural land could be tried exclusively by the Civil Court-Relief for cancellation of the sale deed is the main relief-Held,Trial Court has not committed any illegality or jurisdictional error in rejecting the application.”, (A) Suit for cancellation of the sale deed in relation to agricultural land could be tried exclusively by the Civil Court. (B) When in a suit ancillary relief to the main relief sought is for declaration of a sale deed of an agriculture land as viod ab initio, the suit can always be entertained and tried by the revenue Court. (C) The suit regarding the cancellation of the sale deed even in respect of an agriculture land could be exclusively tried by the civil Court. उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं।

18. वादी द्वारा रजिस्टर्ड बक्षीसनामें को निरस्त कर खातेदारी चाहने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। चूंकि बक्षीसनामें के निस्तीकरण बाबत् श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है एवं प्रथम रजिस्टर्ड दस्तोवज बक्षीसनामा हैं। अतः जब तक वादी बक्षीसनामें को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते, तब तक वादी इस न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद बार्ड बाय लॉ हो[illegible]ना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार योग्य पाया जाता है।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री चतरसिंह पिता वदनसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री भानसिंह पिता वदनसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।
2. श्री खुमाणसिंह पिता वख्तावरसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. श्री मोहनसिंह पिता दौलतसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।
5. श्री शम्भुसिंह पिता दौलतसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।
6. श्रीमती रविता रानी कपील पत्नी पी.डी. कपील निवासी मावली तह. मावली।
7. श्रीमती तारादेवी बोहरा पत्नी नटवरलाल बोहर निवासी जोधपुर।
8. श्रीमती कान्तादेवी पत्नी खुमाणसिंह राव निवासी आसोलियान की मादडी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 161/12 (वाद) GCMS No. : 2012/00130

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.08.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:34 IST
Reason: SelfAttested